न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 14/2019 जिला सीकर ।

रामेश्वर पुत्र बागाराम दत्तक पुत्र गोपी , जाति जाट, निवासी ग्रम जाखला, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1. पीथाराम उर्फ सीताराम पुत्र बागाराम , जाति जाट ग्रम जाखला, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर (राजस्थान)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर
दिनांक 3.11.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री मोहन चौधरी
2. रेस्पोंडन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक – 18.12.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 3.11.2017 के विरूद्ध मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 10.4.2019 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है –

यह कि ग्राम जाखला, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर स्थित आराजी किता 2 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 44 रकबा 10 बिस्वा के खातेदार गोपीराम, भोमाराम, टोडाराम, बागाराम, लिखमाराम, रेखाराम पिसरान दानाराम जाट थे । उक्त खातेदारों में से खातेदार गोपीराम के लाऔलाद फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 77 ग्रम पंचायत सूटोट, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ द्वारा दिनांक 21.4.1990 को रामेश्वर दत्तक पुत्र गोपीराम के नाम स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर पीथाराम उर्फ सीताराम पुत्र बागाराम द्वारा अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत की जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.11.2017 द्वारा नामांतरकण संख्या 77 की नकल में गोद होने का ठोस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने संबंधी टिप्पणी दिनांक 21.4.1990 में अंकित होने से यह जाहिर माना कि उक्त नामांतरकरण विधिक प्रकिया अपनाये बिना भरा गया है, जो प्रथमदृष्ट्या विधि विरूद्ध प्रतीत होता है । अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से अपील

अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्रम पंचायत सूटोट, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ, जिला सीकर द्वारा भरे गये नामांतकरण संख्या 77 दिनांक 21.4.1990 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ को इस आशय हेतु प्रतिप्रेषित किया गया कि वह स्व. गोपीराम के वैध वारिसों की जॉच विधि अनुसार करके नियमानुसार नामांतरकरण की प्रकिया पूर्ण कर निर्णय पारित करें ।

उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के उक्त अपीलाधीन निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण बहाल रखे जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । दौराने बहस रेस्पोंडेन्ट्स की और से कोई हाजिर नहीं आये । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की एकपक्षिय बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थी के पक्ष में ग्रम पंचायत सूटोट द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण पंचायत कौरम की बैठक में सर्वसम्मति से तस्दीक किया गया था । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस तामिल करवाये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि अपीलार्थी विवादित आराजी पर काबिज काश्त है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कब्जे काश्त एवं वारिसान की जॉच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध है । उनका कहना था कि मृतक खातेदार गोपीराम का अपीलार्थी दत्तक पुत्र है और अपीलार्थी ने ही गोपीराम की सेवा सुश्रुषा की है और सामाजिक रीतिरिवाजों के अनुसार गोपीराम के कियाकर्म भी अपीलार्थी द्वारा ही किये गये हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों के विपरीत जाकर एकपक्षीय बहस सुन कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो उचित एवं विधिसम्यक नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर प्रश्नगत नामांतरकरण यथावत रखा जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया गया । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया । प्रकरण में पक्षकारों के मध्य मुख्य विवाद विवादित भूमि के खातेदार गोपीराम के लाऔलाद फौत होने पर उसकी विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण ग्रम पंचायत सूटोट द्वारा अपीलान्ट रामेश्वर दत्तक पुत्र गोपीराम के नाम तस्दीक किया है । प्रश्नगत नामांतरकरण की नकल पर दिनांक 21.4.1990 को नोट अंकित है कि "जमाबन्दी से मिलान किया गया। गोद होने का ठोस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे " , लेकिन ग्रम पंचायत द्वारा इसे नजरन्दाज करते हुये बिना गोद के ठोस प्रमाण के प्रश्नगत नामांतरकरण अपीलान्ट के नाम तस्दीक कर दिया । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ रेस्पोडेन्ट पीथाराम की अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त आधार पर स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 77 दिनांक 21.4.1990 अपास्त किया गया एवं प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ को स्व. गोपीराम के वैध वारिसों की जॉच विधि अनुसार करे नियमानुसार नामांतरकरण की प्रकिया पूर्ण कर निर्णय किये जाने के लिये प्रतिप्रेषित किया गया है । हम समझते हैं कि रेकार्ड पर मृतक खातेदार

गोपीराम के गोद पुत्र के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है । ग्रम पंचायत द्वारा मृतक खातेदार गोपीराम के वैध वारिसान की जॉच किये बिना ही प्रश्नगत नामांतरकरण अपीलान्ट के नाम तस्दीक किया है , जो विधिक नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रकरण मृतक गोपीराम के वैध वारिसों की जॉच विधि अनुसार करके नामांतरकरण की प्रकिया पूर्ण कर निर्णय करने हेतु तहसीलदार लक्ष्मणगढ को प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं एवं अपील अपीलान्ट में कोई सार नही होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर दिनांक 3.11.2017 यथावत रखा जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्र।
अतिरिक्त (संभागीय आयुक्त)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर